S.T-127/2014
2280/2014

Santosh Kumar
DASJ-1st-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

जिला– सहरसा
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,सहरसा
–सह–
विषेष न्यायाधीश,सहरसा

S.T.127/2014
2280/2014

1. राज्य (द्वारा) अमेरिका देवी ....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. रामचन्द्र पासवान उम्र 61 वर्ष पिता स्व0 रामोतार पासवान
2. सुधीर साह उम्र वर्ष पिता स्व0 दीप नारायण साह

साकिनान–ठाढ़ी, थााना–सौरबाजार,
जिला–सहरसा...अभियुक्तगण

वाद से संबंधित तिथियों का विवरणः–

घटना की तिथि	19.09.2009 से लगातार दिनांक 22.09.2009	
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	06.01.2010	धारा–366(A), 376, 34 भा0द0वि0
आरोप पत्र सं. एवं दाखिल करने की तिथि	26/2013 21.03.2013	धारा–366(A), 376, 34 भा0द0वि0
आरोप गठन की तिथि	02.06.2014	धारा–366(A), 376, 34 भा0द0वि0
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	04.07.2019	
अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि	23.06.2026	
धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि	08.07.2026	
सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि		
सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि		
बहस प्रारंभ होने की तिथि	10.07.2026	
बहस बंद करने की तिथि	10.07.2026	
निर्णय की तिथि	10.07.2026	
अभियोजन की ओर से :–	श्री अमरेंद्र कुमार विद्वान विशेष लोक अभियोजक	
बचाव पक्ष की ओर से :–	श्री गणेश चंद्र झा, विद्वान अधिवक्ता	

S.T-127/2014
2280/2014

Santosh Kumar
DASJ-1st-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

सहरसा,दिनांक–10वीं जुलाई 2026

उपस्थितः– संतोष कुमार ,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा।

निर्णय

1. इस आपराधिक वाद के अभियुक्तगण 1. रामचंद्र पासवान 2. सुधीर साह के विरूद्ध धारा–धारा–366(A), 376, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिश्चयन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांष यह है कि '' सविनय निवेदन है कि फिदवी मुदैया एक गरीब परिवार की औरत है। फिदवी मुदैया के लड़की का नाम सरस्वती कुमारी है जो नाबालिग है तथा उसका उम्र 16 वर्ष है।

यह कि फिदवी मुदैया की लड़की सरस्त्वी कुमारी कोशी आदर्श उच्च विद्यालय, महिसरहो बलुआहा में दशम वर्ग की छात्रा है।

यह कि फिदवी मुदैया का पति एवे एक लड़का विकलांग है तथा फिदवी मुदैया का पति एक साधारण किसान है।

यह कि मुदालह रामचन्द्र पासवान वर्तमान में ग्राम पंचायत महिसरहो का सरपंच है तथा मुदालह सुधीर कुमार साह उनका दोस्त है। सुधीर कुमार साह बराबर मुदालह रामचन्द्र पासवान के घर पर आता जाता रहता है।

यह कि मुदालहुम एक गुट के काफी बदमाश, मनबढ्ढ, दबंग एवं चरित्रहीन व्यक्ति है तथा अन्य बाहरी बदमाषों से भी इनका सांठ गांठ रहता है।

यह कि मुदालह रामचन्द्र पासवान कभी कभी फिदवी मुदैया के घर पर आकर फिदवी मुदैया एवं उनके पति को झूठा प्रलोभन देता था कि वे फिदवी मुदैया के पति को विकलांग का प्रमाण पत्र दिलवाकर अनुदान दिलवा देंगे, लड़का को चपरासी में नियुक्त करवा देंगे। तथा फिदवी मुदेया की लड़की सरस्वती कुमारी का चयन आंगनबाड़ी सेविका के पद पर करवा देंगे।

यह कि घटना तिथि से लगभग एक महीना पूर्व मुदालह रामचन्द्र पासवान चपरासी में नियुक्त हेतु आवेदन पत्र भरने तथा आंगनबाड़ी सेविका हेतु आवेदन भरे के बहाने फिदवी मुदैया की लड़की सरस्वती कुमारी एवं फिदवी मुदैया के लड़का उमाशंकर को सहरसा लाया तथा सहरसा से सरस्वती कुमारी एवं उमाशंकर साह का दूसरे दिन घर वापस आने के बाद सरस्वती कुमारी के द्वारा जानकारी मिली कि मुदालह रामचन्द्र पासवान बहाना बनाकर शाम कर दिया तथा फिदवी मुदैया के लड़का को झूठा कहकर कि फिदवी मुदैया के लड़की सरस्वती कुमारी को ग्राम सेवक के पारिवारिक आवास पर पहुॅचा देंगे, उनके लड़का को अन्यत्र रहने हेतु भेज दिया एवं फिदवी मुदैया की लड़की को होटल में रखकर उसके साथ जोर जबर्दस्ती बलात्कार किया तथा फिदवी मुदैया के लड़की को धमकी दिया कि अगर कहीं बोलोगी तो तुम्हारे परिवार के सभी लोगों को जान से मरवा देंगे। सुबह होने पर फिदवी मुदैया की लड़की अपने भाई के साथ अपने घर गई तथा फिदवी मुदैया एवं पिता को घटना की बात बताई तो फिदवी मुदैया एवं उनके पति मुदालह के डर से चुप रह गये एवं फिदवी मुदैया एवं उनके घर के लोग मुदालह रामचन्द्र पासवान से काफी परहेज करने लगे।

यह कि फिदवी मुदैया की लड़की सरस्वती कुमारी ग्राम बहुआहा दिनांक 19.09.2009 को अपनी सहेली से भेंट करने गई तथा लौट कर रही आई। तब फिदवी मुदैया एवं उनके घर के लोग सरस्वती कुमारी का खोजबीन करने लगा। लेकिन सरस्वती कुमारी नहीं मिली। दूसरे दिन फिदवी मुदैया के पति एवं लड़का उक्त बात की सूचना थाना में दिये तो थानाध्यक्ष बोले कि लड़की बरामद होने पर लड़की का ब्यान लेकर मुकदमा दर्ज कर देंगे।

यह कि दिनांक 22.09.2009 को फिदवी मुदैया को अपनी बहन के दामाद चन्देश्वर साह द्वारा सूचना मिली कि सरस्वती कुमारी का अपहरणकर्ता को भागने के बाद सरस्वती कुमारी द्वारा सूचना मिलने पर उसे दिल्ली में वह अपने आवास पर लेकर आया तब फिदवी मुदैया के पति के छोटे भाई का लड़का दिल्ली गया तथा दिनांक 01.10.2019 को रात में सहरसा लेकर आया। एवं दिनांक 02.10.2019 के सुबह में घर आया। फिदवी मुदैया की लड़की फिदवी मुदैया को घटना के बारे में सम्पूर्ण बात बताई कि दिनांक 19.09.2009 को करीब 06:00 बजे शाम में फिदवी मुदैया की लड़की ग्राम बलुआहा से अपनी सहेली से मिलकर अपने घर वापस आ रही थी। जब

फिदवी मुदैया की लड़की बलुआहा एवं महिसरहो गॉव के बीच सुनवान सीान पर आई तो दोनों मुदालहुम को सड़क के किनारे मोटरसाईकिल रोककर खड़ा देखी। जब फिदवी मुदैया की लड़की सड़क होते हुए मुदालहुम के सामने सड़क पर आई तो एकाएक दोनों मुदालहुम अपने अपने कमर से थ्रीनट निकाल कर फिदवी मुदैया के लड़की के छाती एवं सर में सटा दिया तथा बोला कि एक बार भी हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे। फिदवी मुदैया की लड़की डर से काफी भयभीत हो गई। दोनों मुदालहुम फिदवी मुदैया की लड़की को जो जबर्दस्ती मोटरसाईकिल पर बीच में बैठा लिया तथा फिदवी मुदैया के लड़की का अपहरण कर मुदालह रामचन्द्र पासवान तोजी से मोटरसाईकिल चलाते हुए विदा हो गये।

यह कि मुदालहुम फिदवी मुदैया की लड़की को सहरसा लाकर मुदालह सुधीर कुार साह के संबंधी के घर में एक कमरा में बंद कर दिया तथा रात में दोनों मुदालहुम फिदवी मुदैया के लड़की के साथ बारी–बारी से बलात्कार किया।

यह कि दूसरे दिन दिनांक 20.09.2009 को मुदालहुम फिदवी मुदैया की लड़की को एक गोली खिला दिया जिससे फिदवी मुदैया की लड़की को नशा का अनुभव होने लगा तथा फिदवी मुदैया की लड़की को सहरसा में ट्रेन में बिठाकर मानसी की ओर लेकर चला दिया। फिदवी मुदैया की लड़की नषा में सो गई। बहुत देर के बाद फिदवी मुदैया की लड़की का नषा कम हुआ तो दोनों मुदालहुम को अगल बगल बैठा देखी तो ट्रेन चला रही थी। नषा टूटने पर पुनः मुदालहुम फिदवी मुदैया की लड़की को एक गोली खिला दिया जिससे फिर फिदवी मुदेया की लड़की को नषा का पुनः अनुभव होने लगा।

यह कि दिनांक 21.09.2009 को शाम में दोनों मुदालहुम फिदवी मुदैया की लड़की को साथ लेकर दिल्ली पहॅुच गया तथा रात में दिल्ली में एक होटल में रखकर दोनों मुदालहुम फिदवी मुदैया की लड़की के साथ जोर जबर्दस्ती बारी बारी से बलात्कार किया।

यह कि दिनांक 22.09.2009 को दोनों मुदालहुम फिदवी मुदैया की लड़की को साथ लेकर दिल्ली में एक औरत के पास ले गया। उक्त औरत देखने में प्रींस जैसा लगती थी। दोनों मुदालहुम उक्त औरत से फिदवी मुदैया की लड़की को बिक्री कर उक्त औरत के हवाले करने की बात करने लगे।

जिससे फिदवी मुदेया की लड़की काफी डर गई एवं रोती हुई हल्ला करने लगी। हल्ला पर लोगों को एकत्रित होते देखकर दोनों मुदालहूम चुपके से वहॉ से भाग गया।

यह कि फिदवी मुदैया की लड़की का मौसेरा बहनोई चन्देष्वर साह दिल्ली में परिवार के साथ रहकर मजदूरी करता है। फिदवी मुदैया की लड़की को उसके मोबाईल नम्बर का जानकारी था। तब फिदवी मुदैया की लड़की बूथ से अपने मौसेरा बहनोई को फोन किया। फिदवी मुदैया की लड़की का मौसेरा बहनोई फिदवी मुदैया की लड़की के पास आकर फिदवी मुदैया की लड़की सरस्वती कुमारी को अपने आवास ले गये।

फिदवी मुदैया की लड़की अपने बहनोई को भी घटना की सारी बात बताई तब चन्देष्वर साह फिदवी मुदैयी की लड़की के संबंध में फिदवी मुदैया के घर पर फोन द्वारा सूचित किया। तथा फिदवी मुदैया के पति का भाई का लड़का अनिल साह फिदवी मुदैया की लड़की सरस्वती कुमारी को दिल्ली से अपने घर महिसरहो वापस लाया।

यह कि घर पहुॅचने के बाद फिदवी मुदैया की लड़की को पता चला कि फिदवी मुदैया के पति एवं लड़का फिदवी मुदैया के लड़की के अपहरण के दूसरे दिन थाना पर जाकर अपहरण के संबंध में सूचना दिये तो थानाध्यक्ष बोले कि फिदवी मुदैया के लड़की बरामद होने पर उसका ब्यान लेकर मुकदमा दर्ज कर देंगे।

यह कि फिदवी मुदैया अपनी लड़की एवं पुत्र के साथ दिनांक 02.10.2009 को थाना गई तथा थानाध्यक्ष को घटना की सारी बात बताई तो थानाध्यक्ष मुदालह रामचन्द्र पासवान के पैरवीकार से प्रभावित रहने के कारया मुकदमा दर्ज नहीं किये तथा फिदवी मुदैया एवं उनकी लड़की सरस्वती कुमारी को डॉट डपट कर भगा दिये। तथा थानाध्यक्ष फिदवी मुदैया की लड़की का नाम पता लिखवा दिये।

यह कि फिदवी मुदैया अपनी लड़की सरस्वती कुमारी एवं पुत्र के साथ दिनांक 02.10.2009 को ही पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गई एवं घ टना की सारी बात बतायी कि कोई कार्रवाई नहीं हुई।

यह कि फिदवी मुदैया अपनी लड़की सरस्वती कुमारी को लेकर जॉच हेतु महिषी अस्पताल तथा सदर अस्पताल सहरसा गई लेकिन बिना पुलिस रिक्वीजीशन का फिदवी मुदैया की लड़की का जॉच सरकारी अस्पताल

में नहीं किया गया। " उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

3. उपरोक्त आशय का फिदवी मुदैया के नालसी के आधार पर महिषी थाना कांड संख्या–03/2010 अंतर्गत धारा–366ए0, 376, 34, भा.द.वि. के अंतर्गत नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण क्रमषः 1. रामचन्द्र पासवान 2. सुधीर कुमार साह के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–26/17 दिनांक–21.03.2013 समर्पित किया गया।

4. दिनांक–02.06.2014 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–धारा–366(A), 376, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पष्चात अभियोजन साक्षी का साक्ष्य ग्रहण किया गया है। साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पष्चात दिनांक–08.07.2026 को अभियुक्तगण का बयान धारा–313 द. प्र.स.के अंतर्गत लिया गया। अभियुक्तगण का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिष्चयन का पश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

7. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से 03 साक्षी का अभियोजन साक्ष्य कराया गया है, वे हैं अभियोजन साक्षी संख्या–1 अमित कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–2 प्रमोद साह उर्फ प्रमोद कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या–3 सरस्वती देवी उर्फ सरस्वती कुमारी।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्न कागजात प्रदर्श अंकित कराया गया है।

इस केस की पीड़िता अभियोजन साक्षी संख्या–3 सरस्वती देवी उर्फ सरस्वती कुमारी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने अंतर्गत धारा 164 द0प्र0स0 का बयान दिया गया और उस पर अभियोजन साक्षी संख्या–3 के द्वारा हस्ताक्षर किया गया एवं उसकी पहचान की गई। जिसे प्रदर्ष–P-1/pw-3 अंकित किया गया है।

8. अभियोजन साक्षीं सं.–1 अमित कुमार है, इनका परीक्षण दिनांक–04.07.2019 को हुआ है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि

मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूॅ। मैंने पुलिस को घटना के बारे में कोई बयान नहीं दिया था।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त रामचन्द्र पासवान की ओर किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा कहा गया कि मैंने पुलिस के समक्ष कोई बयान नहीं दिया था। इस घटना की कोई जानकारी मुझे नहीं है। न्यायालय कटघड़े में खड़ा व्यक्ति पहले मेरे गॉव का सरपंच था, इसलिये मैं उसे पहचानता हूॅ। बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त सुधीर साह की ओर किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा कहा गया कि मैं गॉव में भी रहता हूॅ तथा बाहर भी जाता हूॅ। सरस्वती कुमारी रिष्ता में मेरी बहन लगती है। मेरा घर और सरस्वती कुमारी के घर के बीच अन्य 5 लोगों का घर है। सरस्वती की शादी हो चुकी है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या–2. प्रमोद साह उर्फ प्रमोद कुमार हैं। इनका परीक्षण दिनांक–24.05.2023 को किया गया है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। पुलिस को मैंने बयान नहीं दिया था। सरस्वती देवी के अपहरण की जानकारी मुझे नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के मौखिक निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त सुधीर साह की ओर किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा कहा गया कि इस केस का मुदालह सुधीर साह को न मैंने देखा है और न ही पहचानता हूॅ। इस केस की जानकारी मिलने पर मैं गवाही देने आया हूॅ। बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त रामचंद्र पासवान की ओर किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा कहा गया कि अभियुक्त रामचंद्र पासवान ग्रामीण हैं इसलिये पहचानता हूॅ यह मेरा पहला गवाही है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–3. सरस्वती देवी उर्फ सरस्वती कुमारी इस वाद की पीड़िता एवं इस केस की सूचिका की पुत्री हैं। इनका परीक्षण दिनांक–22.10.2024 को किया गया। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 15 वर्ष पूर्व की है। मैं बलुआहा से महिसरों जा रहे थे तो रास्ते में सूनसान जगह था। वहॉ एक बाईक खड़ा था और दो व्यक्ति भी थे। वे दोनों मुझे पिस्तौल सटा कर मेरा किडनैप कर ले गये। वहॉ मुझे नशा का

दवाई खिलाकर मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद वे लोग मुझे एक लेडिज के पास बेचने के लिये ले गये थे। उसके बाद मैं वहॉ से जैसे तैसे भाग गयी और मौसा के यहॉ गयी। वहॉ से मैंने मम्मी को फोन किये और घर आयी। मुझे मजिस्ट्रेट के पास लाया गया जहॉ मेरा बयान हुआ जिसे मैंने पढकर समझ लिया और अपना हस्ताक्षर किया। साक्षी के पहचान पर हस्ताक्षर को प्रदर्श P-1/PW-3 अंकित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहीं है कि जो मुझे पकड़कर मोटरसाईकिल से ले गया था उसे मैं नहीं पहचानती हूॅ। उसके बाद न्यायालय में मेरा बयान हुआ जिसमें मैंने वही बयान दी थी जो बयान आज मैं न्यायालय में दे रही हूॅ। जिस समय मेरे साथ घटना घटी थी उस समय मेरा उम्र 18 वर्ष से ज्यादा थी। दोनों मुदालहगण ग्रामीण हैं इसलिये देखकर पहचान लूॅगी।

मन्तव्य

11. तथा–कथित आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से कुल मिलाकर तीन साक्षियो को परिक्षित करया गया है, वे हैं अभियोजन साक्षी संख्या–1 अमित कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–2 प्रमोद साह उर्फ प्रमोद कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–3 सरस्वती देवी उर्फ सरस्वती कुमारी।

तीन साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या–1 अमित कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–2 प्रमोद साह उर्फ प्रमोद कुमार ने घटना का समर्थन नहीं किया तथा अभियोजन के द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन साक्षी संख्या–3 सरस्वती देवी उर्फ सरस्वती कुमारी ने न्यायायल में कथन किया कि घटना 15 वर्ष पूर्व की है। मैं बलुआहा से महिसरों जा रहे थे तो रास्ते में सूनसान जगह था। वहॉ एक बाईक खड़ा था और दो व्यक्ति भी थे। वे दोनों मुझे पिस्तौल सटा कर मेरा किडनैप कर ले गये। वहॉ मुझे नशा का दवाई खिलाकर मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद वे लोग मुझे एक लेडिज के पास बेचने के लिये ले गये थे। उसके बाद मैं वहॉ से जैसे तैसे भाग गयी और मौसा के यहॉ गयी। वहॉ से मैंने मम्मी को फोन किये और घर आयी। मुझे मजिस्ट्रेट के पास लाया गया जहॉ मेरा बयान हुआ जिसे मैंने पढकर समझ लिया और अपना हस्ताक्षर किया। साक्षी के पहचान पर हस्ताक्षर को प्रदर्श P-1/PW-3 अंकित किया जाता है।

मुदालहगण ग्रामीण हैं इसलिये देखकर पहचान लूॅगी। बचाव पक्ष के द्वारा इनका प्रतिपरीक्षण किया गया। प्रतिपरीक्षण के पारा 3 से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि जो अभियुक्तगण इन्हें पकड़कर मोटरसाईकिल से ले गया था उसे साक्षी नहीं पहचानती है। प्रति परीक्षण के पारा 4 में इनका कथन है कि न्यायालय में आज वह वही बयान दे रही है जो आज से पूर्व वह न्यायालय में बयान दे चुकी है। प्रतिपरीक्षण के पारा 5 में इन्होंने स्पष्ट कथन किया कि जिस समय इनके साथ घटना घटी थी उस समय इनका उम्र 18 वर्ष से ज्यादा था। प्रतिपरीक्षण के पारा 6 में कथन किया कि दोनों मुदालहगण ग्रामीण हैं इसलिये पहचान लूॅगी। इस तरह इस वाद की पीड़िता सरस्वती देवी उर्फ सरस्वती कुमारी ने भी घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किया। अंततः उभयपक्षों में संधि भी हो गयी है और अभिलेख पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित मेल पिटिशन एवं परमिशन आवेदन उपलब्ध है।

अतः अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक विवेचनोपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन के द्वारा अभियुक्त पर लगाये आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभिलेख पर विश्वसनीय साक्ष्य के कमी के कारण इस वाद के उपरोक्त अभियुक्त को उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंधपत्रों के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

लेखापित **लेखापित**

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
10.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
10.07.2026

S.T-127/2014
2280/2014

Santosh Kumar
DASJ-1st-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्षी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)
p.w.-1	अमित कुमार	अन्य साक्षी
p.w.-2	प्रमोद साह उर्फ प्रमोद कुमार	अन्य साक्षी
p.w.-3	सरस्वती देवी उर्फ सरस्वती कुमारी	पीड़िता

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्षी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

ग–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्षी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्ष की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
1.	प्रदर्ष–P-1/pw-3	इस वाद की पीड़िता ने न्यायालय में अंतर्गत धारा 164 द0प्र0स0 का बयान दर्ज करायी और उस पर अपना हस्ताक्षर की जिसकी वह पहचान की। साक्षी के पहचान पर इसे प्रदर्ष किया गया।

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण

घ–वस्तु प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीष–प्रथम
सह विषेष न्यायाधीष
सहरसा
10.07.2026